

15<sup>6</sup>

Since 2002

Issue - 158, Vol-XVI (3), May - 2017

[www.researchlink.co](http://www.researchlink.co)

Mob. 94252-11987

डॉ.प्रमोद यादव  
10 / 27, शिक्षक नगर  
दुर्ग (छत्तीसगढ़) - 491001  
दुर्ग (छत्तीसगढ़)

596/158


W



*When you have money in hand,  
only you forget who are you.*

*But*

*When you do not have  
any money in your hand,  
the whole world forget  
who you are  
It's Life....*

*Bill Gates*

An International Registered and Referred Monthly Journal



# RESEARCH

Kala, Samaj Vigyan awam Vanijya

Impact

Factor


2.782

*Link*  
 250/-  
 250/-  
 250/-

CIRCULATION

Andaman-Nicobar / Bihar / Chattisgarh / Delhi / Goa / Gujarat / Haryana / Himachal / Jammu &amp; Kashmir / Karnataka /

Principal  
Seth R.C.S. Arts & Comm. College



● प्रारंभ में गठबंधन सरकार का स्वरूप एवं उसके परिणामों का राजनीतिक विवरण	130
डॉ.पुमोद यादव एवं डॉ.अलका मेशाम ( 596 )	82
● भारतीय प्रजातंत्र में जन कल्याण हेतु - जवाबदेह प्रशासन आरती तिवारी ( 589 )	85
● छत्तीसगढ़ के धन्यवाची राज में अनुचूचित जाति के नेतृत्व की दला और दिशा डॉ.प्रियंका वैष्णव एवं डॉ.डी.एन.सूर्यवर्णी ( 611 )	87
● संसदीय व्यवस्था में विषय की भूमिका भूपेन्द्र कुमार एवं डॉ.आर.के.पुरोहित ( 604 )	89
● उत्तर-पूर्व भारत में आतंकवाद : समस्याएं एवं समाधान डॉ.आर.एस.चंदेल ( 607 )	91

## TOURISM

● Unexplored Forts of Central India Dr HARKIRAT BAINS (H)	93
--	----

## EDUCATION

● Multiple Intelligence Dr.USHA RAO (531)	96
● अध्ययनिक स्तर के विद्यार्थियों की अंक गणितीय कमज़ोरियों की पहचान एवं उसका निदान संतोष कुमार शर्मा, डॉ.नीरा पाण्डेय एवं डॉ.पुष्पलता शर्मा ( 578 )	99

## LAW

● Fundamental Rights, Duties and Human Rights of Person under Constitution of India MEENU D. SHARMA (601)	102
● Sexual Harassment of Women at Workplace in India : Constitutional & Legal Remedies DR. SAPTMUNI DWIVEDI (580)	105

## COMMERCE

● Food Security and Public Distribution System in India : Problems and Prospects (Special Reference to Dist. Raisen (M.P.) Mrs. CHHAYA SHARMA & DR. BHARAT SING GOYAL (576)	108
● बहु एवं सेवा कर (बीएसटी) : एक समीक्षा एवं इनपुट सेवा वितरण की अवधारणा डॉ.विजय अग्रवाल एवं श्रीमती सीमा अग्रवाल ( 586 )	111

## HOME SCIENCE

● Food Synergy : Importance and Awareness REPALI SRIVASTAVA & DR. SARITA VERMA (590(2))	114
--	-----

## RESEARCH PAPER

● Adultery : Historical Perspective Dr.SANGEETA THAKUR (573)	116
● A Study on the school life of the students of Pota Cabins in Deonewada District of Chhattisgarh State Dr. DIVYA SHARMA (586)	119
● Democritization in India : Impact Towards Various Sector of Societies PALLAVI SAXENA (606)	123
● जैव उत्तम यक्षव्युत्तु में भणिपुर डॉ.आर.एस.चंदेल ( 607 )	125
● अध्यनिक स्तर पर पर्यावरण सम्बंधी जागरूकता का अध्ययन इंजेंयर कुमार छड़ावदिया ( 512 )	128

● प्रारंभ महिलाओं की आर्थिक, ज्ञानवादीय एवं राजनीतिक स्थिति छन्दोग्योहिनी एवं डॉ.हेमलता संगुरी ( 590(1) )	130
● गद्दीय एकता में सूक्षी सत्तें का व्योगदान डॉ.प्रीति श्रीवास्तव ( 524 )	131
● पौत्रीयीन के प्रयोग से उत्तर समस्या व समाधान श्रीमती रीना ताप्तकार एवं डॉ.मोनीया राकेश सिंह ( 600 )	132

● शोधपत्र भेजने सबूती नियम 25-127

● रिसर्च लिंक सदस्यता फॉर्म 13

१११

## साहित्य, संस्कृति एवं सुजान विशेष खण्ड के लिए रचनाएं आमंत्रित

साहित्य, संस्कृति और सुजान से सम्बन्धित सामग्री विशेष खण्ड के तहत प्रियलंकृत समय में जाता रहता है। शोधार्थियों विद्यार्थियों का साथ ही इससे सम्बलित सुजनधर्म विद्यार्थी भी लाभ होता है। इसके लिए हम बहुत ज़्यादा से सम्बलित तथा कोई विशेष खण्ड के लिए जो सामग्री भेजी जाए, वह कठिनदिव 010 फोटो में एम.एस.वड या पेजमेकर 6-5 में टाईप की गई हो। मल टाईप की गई फाईल की साफ्टकॉपी के साथ-साथ उसकी पीडीएफ मी भी जाए। नई पुस्तकें, साहित्यिक आयोजनों की संक्षिप्त रपट ( फाटो सहित ) भेजी जा सकती है।

लेखकों का सक्षिप्त रचनात्मक परिचय, फाटो तथा प्रत्येक विवर का प्रता, सोबाइल नंबर सहित हमारे ईमेल आई.डी. researchlink@yahoo.co.in पर प्रोत्त पर विशेष खण्ड का सामग्री को हमारी वेबसाइट researchlink.co पर भी देखा जा सकता है। वेहतर होगा, सीधे इस नंबर पर सम्पर्क करें -

**099264-97611**

प्रियलंकृत सदस्यता का शल्क भागतां प्रश्निवात्सव का नियम संपूर्ण रूप से जारी किया जा सकता है। एक जो विवरण विज्ञानात्मक विवर, स्टडी नंबर, आप डायरेक्ट वांचने वाले विद्यार्थीयों द्वारा कोड - SBIN 000.3432 खाते का नाम - रिसर्च लिंक खाते नंबर 63025612815

प्रतात्त की मल समीक्षा शोधार्थी प्रत साइट के साथ कालालयी नियम पर भेजना अनिवार्य है।





## भारत में गठबंधन सरकार का स्वरूप एवं उसके परिणामों का राजनीतिक विश्लेषण

प्रस्तुत शोधयज्ञ में भारत में गठबंधन सरकार का स्वरूप एवं उसके परिणामों का राजनीतिक विश्लेषण किया गया है। देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति में जो परिवर्तन का दौर चल रहा है, जिसमें किसी को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण समझौते की राजनीति का जन्म हुआ। केन्द्र के स्तर पर पहली बार 1977 में मिली-जुली सरकार का निर्माण हुआ। गठबंधन की सरकार यदि 5 वर्ष पूर्ण कर देश को प्रति के पथ पर ले जाती है, तो यह संकेत है कि भारतीय राजनीति में गठबंधन की राजनीति का युग प्रारंभ हो चुका है। 2014 में सम्पन्न 16वीं लोकसभा चुनाव के परिणामों ने इस पुराने मिथक को तोड़कर राजनीति के नवे समीकरण के बारे में सोचने के लिए देश के बौद्धिक वर्ग को मजबूर कर दिया है।

डॉ. प्रभोद यादव\* एवं डॉ. अलका मेशाम\*\*

### प्रस्तावना :

भारत एक लोकतात्त्विक गणराज्य है, जिसमें भारतीय संविधान द्वारा केन्द्रीय और राज्य स्तर पर संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। हमारे संविधान में चुनाव से पहले या बाद में गठबंधन बनाने के संदर्भ में कोई दिशा-निर्देश नहीं दिए गए हैं। नवीजन इस तरह के गठजोड़ से सरकार गठन के मौके पर और उसके बाद भी अनेक सौदेबाजियों का रास्ता खुलता है। भारत में गठबंधन की राजनीति इसलिए अस्तित्व में आई है कि भारतीय लोकतंत्र का भिजाज भी गठबंधनवादी है। देश की बहुलतावादी संस्कृति और विविधतावादी पहचान गठबंधन की राजनीति के तहत ही इसके लोकतंत्र में पूरी तरह परिलक्षित होती है। गठबंधन के घटते कई बार सरकार में अनिर्णय और अस्थिरता की स्थिति बनती है। अतः चुनाव पूर्व या चुनाव तरह राजनीतिक पार्टीयों के गठबंधन के बारे में विस्तारित नियम कायदे निर्धारित किए जाने चाहिए।

**अध्ययन के उद्देश्य :** दिग्गत कई वर्षों के चुनाव परिणाम यह साबित करते हैं कि भारत में गठबंधन की राजनीति सिर्फ सतही नहीं, बल्कि इसकी जड़ें गहराई तक जा चुकी हैं। ये भारतीय राजनीति की दशा और स्वरूप को भी प्रभावित कर सकती है। इस शोध-पत्र के माध्यम से भारत में गठबंधन सरकार का स्वरूप एवं उसके परिणामों का एक राजनीतिक विश्लेषण कर यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि इस गठबंधन से देश की दिशा एवं दशा किस प्रकार प्रभावित होती है।

**गठबंधन की पृष्ठभूमि :** भारत के संदर्भ में कहा जा सकता है कि यहाँ लोकतंत्र है। नेता हैं और राजनीतिक दल भी हैं, किन्तु विचारधारा का स्तंभ कमजूर होता जा रहा है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जैसे प्रमुख राजनीतिक दल हों, या स्वयं को समाजवादी आन्दोलन का पर्याय मानने वाले दल। साम्यवादी

विचारधारा के प्रेरोकार बने साम्यवादी दल हों, या विशुद्ध रूप से समाज में अगढ़े-पिछ़े वर्गों में राजनीति करने वाली बहुमत समाज पाठी हो। सत्ता तक पहुँच बनाने या सत्ता में बने रहने के लिए सभी दल अपनी विचारधारा को किनारे फरने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। इन दलों के साथ जुड़े नेताओं का एक वर्ग ऐसा भी है, जिनके लिए विचारधारा तो क्या, दल भी कोई मायने नहीं रखता। वर्तमान समय में हो रहे लोकसभा भाग्यधानसमा चुनावों में यह बात एकदम स्पष्ट दिखाई पड़े रही है। देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति में जो परिवर्तन का दौर चल रहा है, जिसमें किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण समझौते की राजनीति का जन्म हुआ है।

**गठबंधन की आवश्यकता :** गठबंधन विभिन्न राजनीतिक दलों का किसी विशेष उद्देश्य के लिए अस्थायी सहमिलन है। विभिन्न दलों या राजनीतिक विचारधारा या पहचान रखने वाले समूहों के बीच अपसी समझौता गठबंधन कहलाता है। जब सदन में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, तो सदन में आवश्यक बहुमत जुटाने के लिए दो या अधिक दलों के बीच आपसी समझौते से गठबंधन सरकार का जुड़ा होता है। ये गठबंधन चुनाव पूर्व या आम चुनाव के बाद हो सकता है। इस प्रकार गठबंधन तीन प्रकार का हो सकता है :

(1) किसी एक विचारधारा से संबद्ध दल समूह मिलकर चुनाव लड़े और सरकार गठित करे, जैसा कि केरल में याम लोकतात्त्विक भोज्य तथा पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में साम्यवादी दल समूह द्वारा होता है।

(2) जब चुनाव के पूर्व अलग-अलग राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी संभावनाओं के आधार पर गठजोड़ बनाकर चुनाव लड़ा जाए और वे संयुक्त रूप से विजयी हों, जैसा कि 1977 में जनता

\* सहायक प्राध्यायक (राजनीति विज्ञान विभाग), सेठ आरसीएस कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

\*\* प्राचार्य, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डॉरगढ़ (छत्तीसगढ़)



पार्टी और 1999 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में हुआ था।

(3) किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर राजनीतिक दल चुनाव के पश्चात् गठबंधन करे और सरकार बनाए। 1989 में गठित राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार तथा 2004 में गठित संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार इसका उदाहरण है।

राज्यों में गठबंधन सरकार की अवधारणा नई नहीं है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत हुए चुनावों में मुख्य, असम तथा उत्तर-पश्चिम सीमा प्राप्त में गठबंधन दलों की सरकारें बनी थीं। उत्तरप्रदेश में अभी हाल में सम्पन्न 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने चुनाव पूर्ण गठबंधन एवं सीटों का बैंटिंग कर चुनाव लड़ा था, परन्तु ये गठबंधन सत्ता प्राप्त नहीं कर सका।

तालिका 1 से यह स्पष्ट लगता है कि भारत में गठबंधन सरकारों का ही युग है। 16 वीं लोकसभा के चुनाव 9 चरणों में सम्पन्न हुए। 16 मई 2014 के चुनाव निर्णय घोषित हुए, जिसमें भाजपा ने पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है। भाजपा ने चुनाव में 543 सीटों में से 282 पर जीत दर्ज की है और 30 वर्षों के बाद किसी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत मिला है।

तालिका 1 : भारत में गठबंधन सरकारों का कार्यकाल

क्र	नेतृत्व (निर्माण)	शापथ	अवसर	कुल दिवस	समर्थन
1.	श्री भोपरजी देसाई -(जनता पार्टी)	24 मार्च 1977 (छठीं लोकसभा)	1	856	संगठन कांग्रेस / जनसंघ/ भासोद/ संयुक्त समाजवादी दल / कांग्रेस फोर डेमोक्रेसी
2.	बौध्यधी धरण सिंह (जनता-एस)	28 जुलाई 1979 (छठीं लोकसभा)	1	170	कांग्रेस का बाहरी समर्थन
3.	श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह (राष्ट्रीय मोर्चा)	02 सितम्बर 1989 (नवीं लोकसभा)	1	343	यामपथी दलों का संयुक्त मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का बाहरी समर्थन
4.	श्री अनन्देश्वर (जनता-एस)	10 नवम्बर (नवीं लोकसभा)	1	223	बांग्रेस का बाहरी समर्थन
5.	श्री अटलबिहारी बाजपेयी (भाजपा)	16 मई 1996 (यारहाईं लोकसभा)	1	18	शिवसेना / अकाली दल / हरियाणा विकास पार्टी
6.	श्री एंड.डी.देवगौड़ा (जनता दल)	1 जून 1996 (यारहाईं लोकसभा)	1	324	संयुक्त मोर्चा / जनता दल / तैलगूदेश्वर / असम मणपथिद / कांग्रेस (एस) दमुक / कांग्रेस का बाहरी समर्थन
7.	श्री अटलबिहारी बाजपेयी (भाजपा)	18 नार्व 1998 (बारहाईं लोकसभा)	2	413	18 दलों का गठबंधन तृणमूल कांग्रेस, तैलगूदेश्वर और राष्ट्रीय लोकदल का बाहरी समर्थन
8.	श्री अटलबिहारी बाजपेयी (भाजपा)	13 नवम्बर 1999 (तैलगूदेश्वर लोकसभा)	3	1512	24 दलों के का गठबंधन (एनडीए)
9.	डॉ.मनोहर सिंह (कांग्रेस)	22 मई 2004 (चौदहाईं लोकसभा)	1	1825	यू.पी.ए.वामपथी दलों का बाहरी समर्थन
10.	डॉ.मनोहर सिंह (कांग्रेस)	22 मई 2009	2	1820	कांग्रेस एवं अन्य दल
11.	श्री नरेन्द्र मोदी	28 मई 2014 सोलहाईं लोकसभा			एनडीए

गठबंधन का राजनीतिक व्यवस्था में प्रभाव : गठबंधन की राजनीति मजबूत लोकतंत्र का प्रतीक नहीं, बल्कि लोकतंत्रीय मजबूरी है, क्योंकि इसमें स्थच्छ प्रतिस्पर्धा के रूपान्वय पर "शह-मातृ और धात" की राजनीति में कार्य किया जाता है तथा सुसदीय लोकतंत्र में गठबंधन एक परिस्थितिजन्य व्यवस्था है। कोई भी राजनीतिक दल नहीं चाहता है कि उसे गठबंधन की सरकारों का संचालन करना पड़े। राजनीति की यह बड़ी दिक्षिणा है कि जो सबसे बड़ा साझेदार है, वह विवश रहता है। उसके ऊपर छोटे घटकों का दबाव रहता है। पूर्व के वर्षों में जिस गठबंधन की सरकारों ने सत्ता का संचालन किया है, उनके विश्लेषण से यह अंकलन किया जा सकता है कि यदि गठबंधन का मजबूत नेतृत्व है तो वह सफलतापूर्वक सत्ता का संचालन कर पाता है। वहीं गठबंधन के कमजूर नेतृत्व से विकास के सारे भारी अवलोक्त हो जाते हैं, क्योंकि उसकी सारी शक्ति केवल गठबंधन को बनाए रखने में ही रह जाती है।

राजनीतिक दलों का यह गठबंधन सरकारों के निर्माण व उसकी रक्षा के लिए होता है। गठबंधन सरकार की मतभेदों के बावजूद एक समवेत स्वर होती है। इसका राजनीतिक व्यवस्था पर निम्नानुसार प्रभाव पड़ता है :

(1) गठबंधन सरकार यद्यपि ऊपर से ठोस प्रस्तुत होती है तथा प्रत्येक राजनीतिक दल अपने राजनीतिक अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है। अतः भीतर नतीभेद के स्वर विद्यमान रहते हैं।

(2) यदि यह गठबंधन चुनाव के पूर्व होता है, तो इसका लक्ष्य चुनाव में बहुमत प्राप्त कर सरकार का गठन करना होता है। इसमें अवसरवादिता का तत्त्व कम होता है और गठबंधन साथ-साथ काम करने का आधार बन जाता है किन्तु यहीं गठबंधन चुनाव के बाद होता है, तो उसमें अवसरवादिता का तत्त्व अधिक अंशों में विद्यमान होता है, जो गठबंधन को कमजूर कर देती है।

(3) गठबंधन सरकार में भागीदार दल समान विचारधारा के नहीं होते हैं न ही समन्वयी होते हैं। अतः एक सुदूर इकाई नहीं बन पाते हैं।

(4) राज्यों में गठबंधन सरकार का जन्म बार-बार दल बदल से होता है। इसीलिए इसमें गम्भीरता का अभाव दिखता है और यह प्रवृत्ति ही सरकार की असफलता और अंत का कारण बन जाती है।

(5) गठबंधन सरकार में प्रत्येक राजनीतिक दल अपने निहित स्वाधीनों की रक्षा और पूर्णी में रह रहता है। अतः



विनायक और तनाव की संभावनाएँ बढ़ जाती है।

**गठबंधन का नकारात्मक पक्ष :** गठबंधन का नकारात्मक पक्ष : सरकार विकास के लिए अधिक है। यह सर्वदिविदि है कि वर्ष 1990 में अधिक संघी के अमेरिका और यूरोप में कई देशों की वित्तीय अर्थव्यवस्था बदल हो चुकी थी। इसका मुख्य कारण उदारीकरण और खुले बजार की नीति रही। भारत में वैश्विक संघी की ओच बहुत अचूक नहीं आई। गठबंधन सरकार की उदारीकरण की नीतियों का अन्योनी दलों ने समर्थन प्रदान किया। भारतीय अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत संकट के कालचक्र में नहीं फैसले का मूल कारण गठबंधन का सरकार ही थी। एक दल का शासन होने पर किसी भी नीति को लागू करने का सरकार में अंतर्विद नहीं होता, गठबंधन बजार होने की बजाह से सभी भावोंगी पार्टीयों से विद्यार्थी उत्तर देते लिए जाते हैं। अश्वत् गठबंधन सरकारें एकाधिकारी नीति पर अंकुश लगाती है। गठबंधन सरकारें जहाँ पूर्ण समन्वय देखिता को ध्यान में रखकर चली है, वह सफल रही है। ऐसी नीति ने कई महत्वपूर्ण कार्य देखित में किए हैं।

**गठबंधन का नकारात्मक पक्ष :** गठबंधन सरकार के अन्तर्गत में स्थिरता न होने से विकास प्रभावित होता है। इसका अन्तर्गत कई बार निवेश पर भी पड़ता है। ऐसी सरकार से न केवल अर्थक, सामाजिक, शैक्षणिक और सामर्थ्यात्मक विकास भी प्रभावित होता है। इसका मुख्य कारण, सहयोगी क्षेत्रीय पार्टीयों के अपने-अपने नाम होते हैं। उनके राजनीतिक, एजेंट्स और स्पोष में अंतर होता है। उनके कारण उनके ढंकराव होना लाजमी है। वे अपने-अपने नाम को लेकर खींचतान में लगे रहते हैं, उनको जनता का हित उन और अपना हित 'अधिक' भजाए जाता है। इससे संसदीय अन्यता का पालन कठिन हो जाता है। गठबंधन सरकार से अर्थक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इससे हमेशा अर्थव्यवस्थित अस्थिरता का माहौल बना रहता है। कारोबार को सही व्यवस्था नहीं मिल पाती क्योंकि कारोबारियों को विश्वास नहीं होता कि सरकार कब तक घब्लने वाली है, आर्थिक तंगी के दौर में उड़ी सरकार विकास की गति को धीमी कर देती है। जब उन्होंने भी गठबंधन में व्यक्तिगत 'स्वार्थ एवं महत्वाकांक्षाएँ विभिन्न नहीं आ जाती हैं, तो गठबंधन सरकारें विफल हो जाती हैं। गठबंधन की सफलता हेतु सुझाव :

(1) गठबंधन में किसी एक दल की तानाशाही न हो। सभी दलों को समान महत्व दिया जायें।

(2) सभी घटक दलों में तालमेल होना चाहिए। सभी निर्णय दलों को संयुक्त लेनी चाहिए तथा सहअस्तित्व एवं संभयोग बनना होनी चाहिए।

(3) गठबंधन का निर्माण तमाम साझेदार पार्टीयों द्वारा संयुक्त बजार के लाप में होना चाहिए, जिसे राष्ट्रपति/राज्यपाल को दिल्ली पर सौंपा व स्वत्पापित कराया जाए।

(4) इस गठबंधन के नियोजित कार्य के अधीन कुछ दलों में खिलाफ बोट करने वाले तमाम साझेदार सदस्यों के भी बजार बदल सह होने का प्रावधान हो। गठबंधन को बाहर से देखने वाले पार्टीयों के मामले में भी यही प्रक्रिया अपनाई जा

(5) गठबंधन सरकार को भीतर अथवा बाहर से समर्थन देने वाले एक तिहाई सदस्य (निर्दलीय सदस्यों समेत) यदि राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्रपति/राज्यपाल को पहले से भूचित करने के खिलाफ जाने का फैसला करते हैं, तो इन्हें अयोग्य नहीं घोषया जाना चाहिए।

(6) गठबंधन सरकार में निरकृष्ण प्रदृष्टि को रोकने के लिए हमें यह भी सुनिश्चित कराना होगा कि गठबंधन के साझेदार जहाँ पर जल्दी हो, वहाँ विरोध भी जैता सके।

(7) सत्ताधारी गठबंधन को समर्थन देने वाले निर्दलीय सांसदों, विधायिकों की स्थिति के साथ उनके दायित्वों का भी स्पष्ट निर्धारण जाली है।

(8) एक जवाबदेह गठबंधन सरकार बनाने के क्रम में समर्थन देने वाले सभी निर्दलीय सांसद या विधायक इसके बारे में एक लिखित करार करे, जिसकी एक प्रति राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंपी जाए। इससे मुद्दों पर आधारित समर्थन या न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर सरकार की स्थिरता हासिल करने का लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा।

#### निष्कर्ष :

अतः आवश्यकता इस बात की है कि राजनीतिक दलों की सान्ध्यता के नियम बदलें जाएं। कुल डाले गये 30 प्रतिशत मतदान प्राप्त न करने वाले दलों की न केवल भाव्यता समाप्त किया जाए, बल्कि उससे चुनाव खर्च भी घटाया जाए। भारत में गठबंधन सरकार के अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि गठबंधन की सफलता उसमें शामिल घटक दलों के आवरण पर निर्भर करता है। इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए विवादास्पद मुद्दों को दरकिनार करना आवश्यक हो जाता है। घटकों दलों का एकमात्र लक्ष्य सत्ता में भागीदारी न होकर जो सांसद में शुणवता, सुनिश्चित करना होना चाहिए। क्षेत्रीय समस्याओं का उचित समीक्षान निकाला जाना आवश्यक है, पर उसे राष्ट्रपति से छपर नहीं रख जा सकता। ऐसी सरकार में सामूहिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सरकार में दलों को लोकसभा में उनकी संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। समग्र दृष्टि से आज गठबंधन की सरकार बनाने से पहले अपने राजनीतिक मूल्यों को अनिवार्यता प्रदान करना आवश्यक है, जिससे देश की जनता का विश्वास राजनीति के प्रति स्थिर रहे और राष्ट्र विकास में सहभागी बनें। इससे ही गठबंधन सरकारों को सफल बनाया जा सकेगा।

#### संदर्भ :

- (1) रिसर्च जर्नल ऑफ सोशल स्टडीज साईंसेज, अंक 15-1, नायकी पब्लिकेशन, दीवा, वर्ष जून 2014, पृ. 137.
- (2) इन्डियन स्टेट सिडिंग (2010) : संसदीय व्यवस्था में परिवर्तन की दिशा, कल्पज पब्लिकेशन, दिल्ली, पृ. 96.
- (3) भल्ला, आर.पी. (2014) : इलेक्शन इन इंडिया, प्रगति प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 80.
- (4) गोस्वामी, भालचंद (2016) : भारत में चुनाव सुधार दशा और दिशा, पोइंट्स पब्लिकेशन, जयपुर, पृ. 143.
- (5) इलेक्टोरल रिफार्म लैंक: ऑफ पोलिटिक्स विल, समकाल विकास पब्लिकेशन, नई दिल्ली, वर्ष 2015, पृ. 209.

Principal